<u>न्यायालय</u>— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला–बालाधाट, (म.प्र.)

<u>आप.प्रक.कमांक—653 / 2010</u> संस्थित दिनांक—03.09.2010

1—सगुनलाल पिता धुरवा यादव, उम्र—40 वर्ष, निवासी—ग्राम मानेगांव, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—रामबाई पति सगुनलाल, उम्र—35 वर्ष, निवासी—ग्राम मानेगांव, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.), — — — — —

आरोपीगण

// <u>निर्णय</u> // (<u>आज दिनांक-25/03/2015 को घोषित</u>)

- 1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323/34, 324/34, 506 (भाग—2) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—14.08.2010 करीब 6—7 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम मानेगांव जिला बालाघाट लोकस्थान में फरियादी रजनीबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित कर, उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर, उसके अग्रसरण में आहत रजनीबाई को मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित किया एवं उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत रजनीबाई को पुड़ी मशीन से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—14.08.2010 को करीब 6—7 बजे फरियादी रजनीबाई अपने घर थी, तब उसका मामा भाई फगनिसंह आया और बताया कि मुकुन्द भैया अपने पिता के घर अपने पिता व भाई के साथ जमीन बंटवारा की बात को लेकर झगड़ा कर रहा है और वहीं बैठा है, जाकर ला लो

तब वह तुरंत अपने ससुर धुरवा यादव के घर गई और अपने पति से बोली की तुम जब भी यहां आते हो, तो तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई तुम्हें मारपीट करते हैं। यहां क्यों आते हो कहकर उसे डांटी तथा अपने देवर सगुनलाल के लड़के राजकुमार को बोली कि तुम अपने बड़े पिता को क्यों मारपीट करते हो कहकर डांटी। राजकुमार बोला की मैं झगड़े के बारे में कुछ नहीं जानता, तभी आवाज सुनकर उसकी देवरानी रामबाई आई और उसके बाल प्रकड़कर गली में लाई तथा साली भोसड़ी की गंदी-गंदी गालियां देकर, उसके लड़के को डांटती है कहकहर हाथ-झापड़ से मारने लगी। फिर उसका देवर सगुनलाल भी यह कहते हुए कि मार साली मादरचोद को जमीन का हिस्सा मांगती है कहकर आया और हाथ-झापड़ से मारने लगा और साली को अभी जान से खत्म कर देता हूं कहकर घर के अंदर गया और पुड़ी मशीन लोहे की लेकर हाथ में लेकर आया और उसके सिर पर मार दिया, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा। उसी समय उसका पति मुकन्द एवं गांव का उत्तम साहू एवं अन्य लोगों ने आकर बीच-बचाव किया। उक्त घटना की रिपोर्ट प्रार्थिया ने थाना बिरसा में जाकर की। उक्त रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र बिरसा में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध कमांक-91 / 10, धारा-294, 323 / 34, 324 / 34, 506 (भाग-2) भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना रथल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा घटना स्थल से घटना में प्रयुक्त एक पुड़ी मशीन लोहे की हैंडल टूटा हुआ जप्त की गई। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323/34, 324/34, 506 (भाग—2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। विचारण के दौरान फरियादी व आहत रजनीबाई ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया है, जिसके फलस्वरूप आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323/34, 506 (भाग—2) के अंतर्गत अपराध का शमन किया गया है तथा शेष धारा—324/34 भा.द.वि. के अंतर्गत विचारण पूर्ण किया गया। आरोपीगण ने धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वंय को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:--

1. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक—14.08.2010 करीब 6—7 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम मानेगांव जिला बालाघाट में उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत रजनीबाई को लोहे की पुड़ी मशीन से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

- 5— फरियादी/आहत रजनीबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना लगभग 7 वर्ष पूर्व शाम के समय मानेगांव बाजार की सड़क की है। उसका पित मुकुन्द सड़क से जा रहा था तो उसी समय उसके पित के पिता धुर्वा ने उसे घर पर बुलाया और रामबाई, सगुनलाल, धुर्वा ने मिलकर उसके पित को मारा। जब वह छुड़ाने गई तो आरोपीगण ने पुड़ी मशीन से उसे मारा, जिससे उसके सिर में चोट आई थी। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे आरोपी सुगनलाल ने जान से मारने की धमकी दिया था, किन्तु अपनी साक्ष्य में उसे आरोपीगण के द्वारा गली—गलौज किये जाने से इंकार किया है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में आरोपीगण के द्वारा उसे रोटी बेलने की पुड़ी मशीन से मारपीट कर उपहित कारित किये जाने के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का खंडन नहीं किया गया है।
- 6— मुकुन्दलाल (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। वह प्रार्थी को भी जानता है। घटना पिछले वर्ष 15 अगस्त की है। वह मानेगांव से बाजार जा रहा था, उसी समय उसके पिता धुर्वा जो उनके घर के सामने बैठे थे, उसे बुलाकर कहने लगे इधर आओ। फिर वह जब अपने पिता के घर गया तो उसके पिता और आरोपी सगुन के पकड़ लिया और उसे मारने लगा, जिससे वह बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ वह नहीं जानता। साक्षी को पक्ष—िवरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन मामलें का महत्वपूर्ण समर्थन नहीं किया है और उसके पुलिस कथन से भी इंकार किया है, बल्कि साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसकी पत्नी रजनीबाई के साथ मारपीट नहीं हुई थी। इस प्रकार साक्षी के कथन से अभियोजन मामलें को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता

7— धन्नूलाल (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। वह फरियादी को भी जानता है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व रात के 8:00 बजे की ग्राम मानेगांब की है। फरियादी रजनीबाई अपने पित को लाने गई थी, तब उसके पित सगुनलाल के यहां शराब पीकर बेहोश पड़ा था, तब फरियादी ने उसके पित को उठाई, उसी समय सगुन देवकर के साथ फरियादी का वाद—विवाद हुआ, तभी सगुनलाल ने रोटी सेंकने के तवे रजनीबाई के सिर पर मारा जिससे रजनीबाई बेहोश हो गई थी। उसके पश्चात् उसे डॉक्टर के पास लेकर गये थे। बिरसा अस्पताल में भी उसे होश नहीं आया था। आरोपी रामबाई ने भी फरियादी को गालियां दिया था। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में आरोपीगण के द्वारा आहत रजनीबाई को रोटी सेकने के तवे से मारपीट कर उपहित कारित किये जाने के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का खंडन नहीं किया गया है। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से इस तथ्य के संबंध में चुनौती नहीं दी गई है कि आरोपी सगुनलाल ने रोटी सेंकने के तवे से न मारकर पुड़ी की मशीन से मारपीट की थी। ऐसी दशा में मारपीट किये जाने में प्रयुक्त साधन के संबंध में विरोधाभास का लाभ आरोपीगण को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि दोनों ही प्रयुक्त साधन खतरनाक साधन के रूप में प्रकट होते हैं।

8— नरेश (अ.सा.4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आरोपीगण को जानता है एवं फरियादी रजनीबाई को भी जानता है। घटना एक वर्ष पूर्व की ग्राम मानेगांव की फरियादी के घर की है, किन्तु उसने घटना होते हुए नहीं देखा था। फरियादी रजनीबाई डॉ. सोहन के घर गई थी, जहां पर उसका सिर खून से भीगा हुआ था। उसके बाद फरियादी रजनीबाई को डॉ. सोहन के कहने पर वह शासकीय अस्पताल पहुंचाने लगा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय घटनास्थल पर नहीं था और उसने आरोपीगण को रजनी के साथ मारपीट करते हुए नहीं देखा। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलें का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

9— हेमिसंह (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण एवं फरियादी दोनों को पहचानता है। घटना आज से लगभग दो वर्ष पूर्व की है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने रजनीबाई के सिर से खून निकलते हुए देखा था। साक्षी ने उसे इस सुझाव से भी इंकार किया है

कि उसे आरोपीगण के द्वारा आहत रजनी के साथ मारपीट करने की जानकारी थी। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलें का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

10— जोधी (अ.सा.८) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण और फरियादी दोनों को जानता है। घटना आज से लगभग एक—दो वर्ष पुरानी है। घटना के समय वह उपस्थित नहीं था। घटना दिनांक को रात्रि 7—8 बजे आरोपी सगुनलाल उसे बुलाने आया था और रिपोर्ट करने की बात कह रहा था, लेकिन वह बाहर बैठा था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने उसे इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे आरोपीगण के द्वारा आहत रजनी के साथ मारपीट करने की जानकारी थी। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलें का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है।

11— फगनसिंह (अ.सा.८) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण एवं फरियादी दोनों को जानता है। घटना लगभग एक वर्ष पुरानी शाम 7:00 बजे सगुन के घर की बात है। झगड़े के समय वह उपस्थित नहीं था। उनका झगड़ा खत्म होने के बाद जब वह घूमने निकला था, तो उसने रजनीबाई के सिर पर चोट लगी हुई और उसे बेहोश देखा था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने उसे इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसे आरोपीगण के द्वारा आहत रजनी के साथ मारपीट की गई थी। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलें का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। यद्यपि साक्षी ने आहत रजनी के सिर में घटना के समय चोट देखे जाने की पुष्टि की है।

12— डॉ. एम. मेश्राम (अ.सा.१) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक—14.08.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बिरसा के आरक्षक किरण क्रमांक—820 द्वारा आहत श्रीमती रजनी पति मुकुंद उम्र—40 वर्ष, निवासी मानेगांव को उसके समक्ष मुलाहिजा हेतु लाया गया था, जिसका परीक्षण करने पर उसने आहत को साधारण प्रकृति की चोटें पाई थी, जिसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपने चिकित्सीय अभिमत में आहत रजनी को कड़े व बोथरे वस्तु से चोट कारित होने की पुष्टि की है, जिससे इस तथ्य का समर्थन होता है कि आहत रजनी को आरोपीगण ने पुड़ी बनाने की मशीन से साधारण उपहित कारित की थी।

अनुसंधानकर्ता अधिकारी रामिकशोर माथरे (अ.सा.६) ने अपने मुख्यपरीक्षण 13-में कथन किया है कि वह दिनांक 14.08.10 को वह थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी रजनीबाई के द्वारा थाना आकर कथन दिए जाने पर अपराध कमांक-91/10 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रदर्श पी-1 दर्ज किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। फरियादी को चिकित्सीय परीक्षण हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा भिजवाया था, जो प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-15.08.10 को फरियादी की निशानदेही पर प्रदर्श पी-3 का मौकानक्शा तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान फरियादी रजनीबाई, मुकुन्दलाल, धन्नूलाल, नरेश, उत्तमलाल, हेमसिंह, फगनसिंह एवं जोधीराम के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। जोधीराम तथा फगनसिंह के कथन दिनांक-27.08.10 को लेख किया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी सगुनलाल के पेश किये जाने पर प्रदर्श पी-4 के अनुसार एक पुड़ी मशीन जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-5 एवं प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलें में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

14— अभियोजन की ओर से महत्वपूर्ण रूप से स्वयं आहत रजनीबाई (अ.सा.1) ने आरोपीगण के द्वारा उसे पुड़ी बनाने की मशीन से उपहित कारित करने का समर्थन किया है। इसके अलावा धन्नूलाल (अ.सा.3) ने भी अपनी साक्ष्य में आहत रजनी को आरोपीगण के द्वारा खतरनाक साधन से साधारण उपहित कारित करने की पुष्टि की है। चिकित्सीय साक्षी के चिकित्सीय अभिमत में भी आहत रजनी को कड़े व बोथरी वस्तु से चोट आने का कथन किये जाने से खतरनाक साधन या आयुध से साधारण उपहित कारित होने की पुष्टि होती है। घटना के समय आरोपीगण ने आहत रजनीबाई के सिर पर लोहे की पुड़ी बनाने की मशीन जैसी वजनदार वस्तु से प्रहार किया, जिससे इस अधिसंभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि आहत रजनीबाई के सिर में उक्त लोहे की वजनदार वस्तु का एक ही प्रहार उसकी मृत्यु कारित होने के लिए पर्याप्त था। आरोपीगण के द्वारा घटना के समय मारपीट में प्रयुक्त लोहे की पुड़ी बनाने की वजनदार मशीन को खतरनाक आयुध के रूप में उपयोग में लाया गया, जिससे आहत

रजनीबाई को उपहति कारित की गई।

15— प्रकरण में उक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आरोपीगण ने आहत रजनीबाई को उपहित कारित करने के समय वह इस संभावना को जानते थे कि उनके कृत्य से निश्चित ही आहत रजनीबाई को खतरनाक आयुध से उपहित कारित होगी। इस प्रकार आरोपीगण का उक्त कृत्य खतरनाक आयुध से स्वेच्छया उपहित कारित करने की श्रेणी में आता है।

16— आरोपीगण के द्वारा घटना के समय आहत रजनीबाई को उपहित कारित करने का आशय निर्मित कर उसे मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की गई है। इस प्रकार उक्त उपहित्त के अपराध हेतु दोनों आरोपीगण समान रूप से उत्तरदायी हैं।

17— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपीगण ने फरियादी रजनीबाई को खतरनाक आयुध के रूप में लोहे की पुड़ी मशीन से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324/34 के अपराध के अन्तर्गत दोष सिद्ध ठहराया जाता है।

18— आरोपीगण को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थिगत किया गया।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

पश्चात्-

19— आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उनके द्वारा मामले में वर्ष 2010 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहे है। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड़ से दिण्डत कर छोड़ा जावे।

20— मामले में आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। आरोपीगण मामले में वर्ष 2010 से लगातार विचारण का सामना कर रहें हैं। आरोपीगण से आहत रजनीबाई ने विचारण के दौरान राजीनामा कर लिया होने से आरोपीगण के विरुद्ध अन्य अपराध का शमन किया जा चुका है। उभयपक्ष के बीच मधुर संबंध होने से राजीनामा होने के उपरान्त यदि आरोपीगण को कारावास की सजा दी जाती है तो उनके मधुर संबंध में कटुता आने की संभावना होगी तथा साथ ही राजीनामा किये जाने का उद्देश्य भी विफल हो जाएगा। अतएव मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दिण्डत किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324/34 के अपराध के अंतर्गत प्रत्येक को 1000/—, 1000/— (एक—एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324/34 के अंतर्गत आरोपीगण को एक—एक माह का सादा कारावास भूगताया जावे।

21— प्रकरण में आरोपीगण मामले में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहें है। अतएव उक्त के संबंध में धारा–428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत पृथक से प्रमाण–पत्र तैयार किया जाये।

22— प्रकरण में जप्तशुदा एक लोहे की पुड़ी मशीन मूल्यहीन होने से अपील अविध पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर जिला–बालाघाट (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट